रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 19 APR GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 1979/चैत्र 2, 1901

No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 1979/CHAITRA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 19 आई० टी० सी० (पीएन)/79

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1979

विषय: 1978-79 के लिए 3 करोड़ 50 लाख डी०एम० के प० जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू शर्तें।

[मिसिल सं० आई०पी०सी० 39/10/76].—1978-79 के लिए 3 करोड़ 50 लाख डी०एम० के प० जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जो शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचनार्थ अधिसूचित की जाती हैं।

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 23-आई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 23-3-79 का परिशिष्ट I

1978-79 के लिए 3 करोड़ 50 लाख डी०एम० के पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों से सम्बन्धित शर्तें।

खण्ड 1—सामान्य शर्तें :—

(1) जिस मामले में आबंटन का मूल्य 10 लाख डी० एम० के तुल्य रुपए से अधिक होता है (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 15 के अन्तर्गत राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर विनिश्चित करके तुल्य रुपया) उस में आबंटन के लिए प० जर्मनी के प्राधिकारियों [क्रेडिटान्स टाल्ट फुर वीडोपबाऊ (के एण्ड डब्ल्यू)] की पूर्व सहमति आवश्यक है, और यह सहमति भारतीय आयातक द्वारा अनुबन्ध 1 के प्रपत्र में दिए गए परियोजना आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। **जब तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों से सहमति वार्षिक कार्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों (मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात) को नहीं भेज दी जाती है तब तक भारतीय आयातक को कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।**

(2) लाइसेंस पर "1978-79" के लिए 3 करोड़ 50 लाख डी एम पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट "अभिलेख अंकित किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लाइसेंस संकेत एस/जी एन" होंगे। ये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस को अग्रेषित करने वाले पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

(3) **बैंक खर्चे जो सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं, के अतिरिक्त आयात लाइसेंस के प्रति विदेशी मुद्रा के किसी धन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी।** भारतीय एजेन्ट का कमीशन, यदि कोई होगा, तो उसके भुगतान एजेन्टों को भारत में भारतीय रुपए में करने चाहिएं, लेकिन ऐसा भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही भाग होगा और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किया जाएगा।

(4) **इस आयात लाइसेंस के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले माल और संबंधित सेवाएं बर्लिन सैंड या अन्य किसी देश सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से आयात किए जा सकते हैं। इसलिए विदेशी**

संभरक संविदा को पूर्ण करने के लिए यदि आवश्यक समझें तो तीसरे देश से सामान आदि अधिप्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(5) जिस न्यूनतम मूल्य के लिए इस क्रेडिट के अधीन एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह 30,000 डी एम के रुपए के बराबर है [राजस्व (सीमा-शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर गिन कर तुल्य रुपया] मुद्रा विनिमय की दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78 आई टी सी (पीएन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट होनी चाहिए।

(6) लेकिन आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 24 महीने या नीचे पैरा 2(12) में यथा निर्दिष्ट पोतलदान की अन्तिम तिथि इनमें जो भी कम हो इस तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ इस शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस की न्यूनतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि से 12 महीने होगी।

(7) पक्के आदेश (जिसका अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरक को क्रय आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश का पुष्टिकरण या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा **(आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महिनों की अवधि के भीतर ही अवश्य निर्माण हो जाने चाहिएं)** देखिए नीचे का पैरा (9) समुद्र पार संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं को आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकार्ताओं द्वारा पुष्टि आदेश स्वीकार्य नही है।

(8) यदि उपर्युक्त पैरा 1(7) मे यथा उल्लिखत पक्के आदेश चार महीनों की समय सीमा के भीतर निर्णीत नही किए जा सकते है तो लाइसेंसधारी को आदेश देने की अवधि में वृद्धि मांगते हुए एक प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी सी आई एण्ड ई) को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को जैसे भी मामला हो, इस बात का औचित्य और स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नही दिए जा सके। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि तक वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निश्चयात्मक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो ऐसी वृद्धि के प्रत्येक मामले का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और अपने निर्णय को लाइसेंस प्राधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिए भेजेंगे। केवल लाइसेंस प्राधिकारी वृद्धि की मंजूरी प्रदान करने वाले ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही विदेशी मुद्रा की प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी, साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार-पत्र, तुल्य रुपए जमा करने की स्वीकृति आदि की सुविधा की अनुमति देंगे।

(9) लाइसेंसधारी को अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्के आदेश की आदेश देने की निर्धारित अवधि के भीतर अन्तिम रूप दे दिया जाता है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चय नही किया जा सकता, उनमें लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी सम्बद्ध विभागीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी 4 महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

(10) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नही दिए गए हैं, उनमें लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस के आदेश के लिए न दिए गए ऐसे शेष मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करे।

खण्ड 2 : क्रय संविदाएं निर्णीत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विशेष लक्ष्य।

2 (1) संविदा कीमत विशेष रूप से उसी देश की मुद्रा में अभिव्यक्त होनी चाहिए जिनमें विदेशी संभरक रहता है। संविदा कीमत निश्चित और अंतिम होनी चाहिए और किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी उपबन्ध की अनुमति नहीं होगी। यदि विदेशी संभरक के किसी भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो वह भारत में भारतीय रुपए में देय लागत की मद के रूप में संविदा में अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसीलिए विदेशी संभरक को विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि भारतीय एजेंट के ऐसे कमीशन से अलग प्रदर्शित होनी चाहिए। आयात लाइसेंस के आधार पर जिस मूल्य तक क्रय आदेश दिए जा सकते हैं, उस मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित की गई और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकलित किया जाना चाहिए।

(2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश या तो लागत-बीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामलों में आदेश केवल लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं।

(3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के अधीन क्रय संविदाएं विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद करनी चाहिएं। इस संबंध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक अपनी पसंद के किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(4) **अर्हक संविदा के लिए न्यूनतम मूल्य**—बशर्ते कि एक आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदा का समस्त मूल्य 30,000 डी एम से कम (उन खरीद के मामले में जो पूर्णतया जर्मनी गणतन्त्र संघ से किए गए हैं) या 30,000 डी एम के बराबर (उन मामलों में जहां जर्मनी गणतंत्र संघ से भिन्न देशों से खरीद पूर्णतया या अंशतः किए गए हैं) होना चाहिए तो आयातक के लिए यह स्वीकृति है कि वह 30,000 डी एम से कम या 30,000 डी एम के बराबर अलग-अलग संविदाएं करें। किन्तु एक आयात लाइसेंस के अधीन उन क्रय संविदाओं के मामले में जिनका मूल्य डी एम 10,00,000 के बराबर से अधिक नहीं होता तो यह नीचे की कंडिका 2(13) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

(5) (क) आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदाओं का भारत सरकार और क्रेडिटान्सटाल्ट फार वीडरऑफबाऊ (के एण्ड डब्ल्यू)

(पश्चिमी जर्मनी विकास बैंक जिसके माध्यम से 3 करोड़ 50 लाख डी० एम० का पूंजीगत माल क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है और इसीलिए क्रय संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष धारा समाविष्ट करनी चाहिए ।

(ख) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य विभाग 10 लाख डी० एम० के बराबर रुपए या इससे कम हो (राजस्व "सीमा-शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित), के मामले में संविदाओं को अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देते हुए वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के० एफ० डब्ल्यू० को एक बार ही संविदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कार्रवाई कर सकता है जैसा कि के० एफ० डब्ल्यू० द्वारा संविदा अनुमोदित कर दी गई हो और यह कार्रवाई तब तक कर सकता है जब तक कि के० एफ० डब्ल्यू० कोई आपत्ति नहीं करता, के० एफ० डब्ल्यू० कोई आपत्ति करेगा तो वह सही ढंग से आयातक को सूचित कर दी जाएगी।

(ग) आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य 10 लाख डी० एम० के बराबर रुपये की धनराशि से अधिक हो (राजस्व "सीमा-शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर संगणित), के मामले में पहले भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के० एफ० डब्ल्यू से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष रूप से भारतीय आयातक को भेजा जाएगा और जब तक यह ऐसा न हो तब तक संविदाएं अन्तिम समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) के साथ क्रय संविदा की तीन प्रतियां इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईसी-आई अनुभाग) कमरा नं० 169, नार्थ ब्लाक को क्रय संविदा के निर्णीत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी आवश्यक है कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद ही आदेश दिए गए हैं।

(6) जिस मामले में संविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक तदनुसार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और सम्बद्ध बीमा कम्पनी से इस सम्बन्ध में एक वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो वह डी० एम० में सीधे के० एफ० डब्ल्यू० को किया जाएगा (डयूटशे बन्डेसबैंक फ्रैंकफर्ट/मेन लेखा सं० 50409100)।

(7) **जिस मामले में संविदाएं लागत और बीमा भाड़ा के आधार पर की गई हैं,** उसमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ करना चाहिए और तदनुसार बीमा किश्त भारतीय रुपए में चुकानी चाहिए । **लेकिन आयातक को भारतीय बीमा कम्पनी से निम्नलिखित वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसकी संविदा दस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग,** वित्त मंत्रालय (ईई-1 अनुभाग) को भेजनी चाहिए :—

"हम किसी भी उस प्रतिस्थापन के लिए समुद्र पार संभरकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण करेंगे जिसकी आवश्यकता माल की हानि या टूट-फूट के लिए हो सकती है ।"

(8) चूंकि संविदाएं उपर्युक्त पैरा 2(2) के अनुसार या तो लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए चाहे भारतीय जहाज भी क्यों न उपयोग किए गए हो फिर भी विदेशी मुद्रा में भाड़ा खर्चा चुकाने के लिए विदेशी संभरक को उत्तरदायी बनाना चाहिए । **भाड़ा खर्चा किसी भी परिस्थिति में भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए ।**

(9) **लाइसेंस के प्रति विदेशी संभरकों को भुगतान नीचे खण्ड-3 में यथा उल्लिखित विशेष साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन प्रेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

(10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहां तक संबंध है, इस विषय में क्रय संविदा के अधीन माल के पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी पार्टी ही वाहनों को चुनने के लिए स्वतन्त्र होगी । **पोतलदान जिस देश में संभरक बताए गए हैं वहां से या तीसरे देश से किया जा सकता है ।**

(11) बर्लिन लैण्ड सहित जर्मनी गणतन्त्र संघ से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य 10 लाख डी एम से अधिक है उनके लिए, या अन्य देशों से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य 10 लाख डी० एम० के बराबर या डी० एम० से अधिक है उनके लिए संभारित किए गए माल के निष्पादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निष्पादन गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए क्रय संविदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए । (अन्य संविदाओं के मामले में अर्थात् उन संविदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे विदेशी संभरक से निष्पादन गारंटी की आवश्यकता है या नहीं) लेकिन, गारंटी निष्पादन का प्रारूप भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है । लेकिन, भारतीय आयातक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निष्पादन गारंटी से उत्पन्न यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उसको देय हो तो उसका करार क्रेडिटान्सटाल्ट कर वीडरॉफबाउ (डयूटशे बन्डेसबैंक फ्रैंकफर्ट/मेन लेखा सं० 50409100) से सीधे किया जाना चाहिए।

(12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान 31-12-1981 तक पूर्ण हो जाने चाहिए । इसलिए क्रय आदेश/संविदाओं में पोतलदानों को पूर्ण करने और 31-12-1981 तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होना चाहिए । यदि किसी मामले में यह आशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते है तो पर्याप्त औचित्य देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय वृद्धि के लिए 31 अक्तूबर 1981 तक आवेदन करना चाहिए । ऐसे आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य 10 लाख डी० एम० के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता है, उनके मामले में भारतीय आयातक द्वारा कुल संविदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार प्रस्तुत करना आवश्यक है । संविदाओं को खंडों में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2(4) में वर्णित अर्हक संविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखना चाहिए ।

खण्ड 3—विदेशी संभरकों को भुगतान—"विशेष" साखपत्र जिया विधि

3(1) प्राधिकारीपत्र जारी करने के लिए आवेदनपत्र.—जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य 10 लाख डी० एम० के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति संभरकों के साथ क्रय संविदाएं निर्णित हो जाने के 15 दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी० एम० के

बराबर रुपये से अधिक होता है (राजस्व "सीमाशुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति की गई संविदाओं के के० एफ० डब्ल्यू० के अनुमोदन की सूचना देते हुए भारत सरकार के पत्र [देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (5)(ग)] की तिथि से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी सम्बद्ध विदेशी संभरक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू० ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(क) जिस आयात लाइसेंसों का मूल्य 10 लाख डी०एम० के तुल्य रुपए से अधिक नहीं होता उनके लिए की गई संविदाओं के संबंध में :—

(1) क्रय आदेश की तीन प्रतियां, और विदेशी संभरकों द्वारा क्रय आदेश के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो क्रमशः आयातक एवं संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां साक्ष्यांकित प्रतियां या भारतीय अभिकर्त्ताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य नहीं है ;

या

क्रय संविदा की तीन प्रतियां, भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित या उनकी फोटो प्रतियां, साक्ष्यांकित प्रतियां या भारतीय अभिकर्त्ताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य है ;

(2) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए आवेदनपत्र (दो प्रतियों में);

(3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध 3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में लागू नहीं);

(4) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी के बचनपत्र की तीन प्रतियां देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7);

(5) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाणपत्र कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद आदेश दिए गए हैं, देखिये उपर्युक्त पैरा 2 (3); और

(6) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र की लाइसेंस के अधीन आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (13) ।

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी०एम० के तुल्य रुपए से अधिक होता है उसके प्रति की गई संविदाओं के संबंध में, पहले भेजे गए संविदा दस्तावेजों (जिनके संबंध में के० एफ० डब्ल्यू० का अनुमोदन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा) देखिए उपर्युक्त 2 (5) (ग) के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(1) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए एक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में);

(2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध 3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में लागू नहीं); और

(3) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी से बचनपत्र की तीन प्रतियां, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7) ।

3. (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है ।

3. (3) साखपत्र खोलना

साखपत्र इस प्रयोजन के लिए पश्चिम जर्मन में मनोनीत निम्नलिखित सात बैंकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकारपत्र के बल पर खोला जा सकता है :—

(1) दि बेयरिये वेरिन्स बैंक, म्युनिख,

(2) दि कामर्स बैंक, ए० जी० फ्रैंकफर्ट,

(3) दि डयूजगे बैंक, ए० जी० हेम्बर्ग,

(4) दि ड्रेस्डनर बैंक, ए० जी० जंगफर्नस्टी हेम्बर्ग,

(5) बर्लिनर हेन्डिस गेसल शेफ्ट फ्रैंकफर्ट बैंक,

(6) स्टेट बैंक आफ इंडिया फ्रैंकफर्ट,

(7) बेरिन्स एंड वेस्ट बैंक, हेम्बर्ग ।

आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के) और उनके बैंकरों को उपर्युक्त पैरा 3 (3) में उल्लिखित सात बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ।

3(4) (क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी०एम० के बराबर रुपया या इससे कम है उसके प्रति आदेशों के मामले में पक्के आदेश देने की तिथि से; या

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी० एम० के बराबर रुपए से अधिक है उसके प्रति संविदा के मामले में वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संविदा के अनुमोदन के पत्र की तिथि से इनमें जो भी मामला हो उसमें 15 दिनों के भीतर प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन समझा जाए ।

3.(5) बैंक गारंटी—वह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित करना चाहिए

जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी जिस धनराशि के लिए विदेशी मुद्रा में साख-पत्र मांग गया है उसके तुल्य रुपए के घोलक धनराशि के लिए प्रासंगिक तथा बचनबद्धता खर्चों और इसके अतिरिक्त ब्याज तथा अनुबंध-5में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों के लिए इस धनराशि के 1% के लिए होनी चाहिए । **परिवर्तन की प्रचलित दर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 15 के अन्तर्गत राजस्व (सीमा-शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर और सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई०टी०सी० (पी०एम०/74, दिनांक 6-6-1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट दर होगी । इस दर का तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है । लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेखे में रुपया विनिक्षेप करने के लिए तुल्य रुपए की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करते समय जर्मन बैंक द्वारा खर्च की गई डी०एम० धनराशि के लिए मिश्रित दर पर करनी होगी अर्थात् या तो डी०एम० में, यदि विदेशी संभरक पश्चिमी (बर्लिन लैंड सहित) में रहता है या समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई०टी०सी०(पी० एम०)/72, दिनांक 28-1-72, सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई०टी०सी० (पी०एम०)/72 दिनांक 21-7-72 और 8-आई०टी०सी०(पी०एम०)/76 दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान को प्रभावी करने के लिए डी०एम० धनराशि में आगे नोटिस जारी होने तक इस संबंध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा ।**

3.(6) प्राधिकारपत्र जारी करना

यदि उपर्युक्त पैरा 3 (1) मे निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं पाए जाएंगे तो पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में आयातक को भारतीय बैंक द्वारा खोले जाने वाले "विशेष साख्यपत्र के आधार पर विदेशी संभरकों को निर्धारित धनराशि तक भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए वित्त मंत्रालय (लेखा तथा लेखा परीक्षा निर्यंत्रक) आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक को एक प्राधिकारपत्र (अनुबंध 4 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकारपत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकारपत्र उसी एक प्रति के साथ साख्यपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को इसके द्वारा खोले गये साख्यपत्र के साथ मूल प्राधिकार की पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक को भेजने के लिए आदेश देते हुए भेजा जाएगा। (ऐसा निर्देशन अनुबंध 5 के अनुसार होगा) इसकी एक प्रति आयातक को भी जाएगी।

जब तक इस पैरे में यथा उल्लिखित प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक ने सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से सीधे प्राप्त कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साख्यपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी को सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।

3.(7) पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक में "विशेष" साख पत्र प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए खोला जाना चाहिए। अन्यथा पहले ही जारी किया गया प्राधिकारपत्र वैध नहीं समझा जाएगा।

3. (8) अपेक्षित दस्तावेजो और विवरणपत्रों को एकत्र करने पर पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विदेशी संभरकों को भुगतान किए जाएंगे। जिस मामले में विदेशी संभरक जर्मनी गणतंत्र संघ (बर्लिन लैंड सहित) से अन्य देश में रहता है उसमें भी समझौते की बातचीत और दस्तावेजों का भुगतान पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक द्वारा किए जाएंगे। पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक पश्चिमी जर्मनी प्राधिकारियों से डी० एम० धनराशि की अदायगी प्राप्त करेगा। जर्मनी गणतंत्र संघ से अन्य देशों द्वारा संभरण के मामले में पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक विदेशी संभरकों को जिस देश में वे रहते है उसी देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई धनराशि की अदायगी डी० एम० जर्मनी के प्राधिकारियों से प्राप्त करेगा।

3. (9) जर्मनी गणतंत्र संघ मे भुगतान के लिए और तीसरे देश में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी जर्मनी के बैंक द्वारा किए गए आनुषंगिक बैंक खर्चे जिस मामले में भी लागू होंगे, वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक को सामान्य बैंक प्रणाली मे भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना प्रेषित किए जाएंगे।

खंड-4 सरकार के लेखे में रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व

(1) बर्लिन लैंड सहित पश्चिमी जर्मनी से और अन्य देशो से आयातों के दोनों में पश्चिमी जर्मनी के नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मूल लदान दस्तावेज भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजने चाहिएं जो दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परक्राम्य दस्तावेजों के सेट को लाइसेंसधारी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि पश्चिम जर्मनी नामित वाणिज्य बैंक द्वारा जर्मनी के संभरकों को चुकाई गई डी० एम० धनराशि के बराबर रुपया या जर्मनी के सम्बद्ध बैंक द्वारा तीसरे देश में संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने में खर्च की गई डी० एम० धनराशि और इसका 1% आनुषंगिक का और वचनबद्धता खर्चों के लिए और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिलाकर) की अवधि के लिए उपर्युक्त कुल धनराशि ब्याज खर्चे आयातक से प्राप्त कर लिए जाने है और सरकारी लेखे में जमा किए गए है। सार्वजनिक सूचना सं० 48—आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार ब्याज खर्चे की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी।

15 जून, 1976 को या इसके बाद सरकारी लेखे में जमा करने की दर:—

(1) जहां संभरक को भुगतान की तिथि 30 दिनों के भीतर निक्षेप किए जाते है— 9 प्रतिशत प्रति वर्ष

(2) जहां संभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के बाद निक्षेप किए जाते हैं—

(क) पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ख) 30 दिनो से अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत

विदेशी संभरकों को विदेशी मुद्रा के तुल्य रुपए में किए गए भुगतान की गणना के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मिलीजुली दर होगी या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हो सकती है। भारतीय सम्बद्ध **बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि आयातकों को मूल पोतलदान दस्तावेजों के सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चित कराए कि देय धनराशि ठीक प्रकार सरकारी लेखे में जमा करा दी गई है।** लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उनके बैंकरों से दस्तावेजो को लेने से पूर्व सरकारी लेखे में देय धनराशि ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है।

4(2) उपर्युक्त 4(1) में विचार किए गए निक्षेपो की धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी दिल्ली-6 में नकद जमा की जा सकती है या यदि वह सुविधाजनक न हो तो वह धनराशि एजेन्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी दिल्ली-6 के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और सार्वजनिक सूचना सं० 132 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई०टी०सी० (पीएन)/68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 के अनुसार अपेक्षित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनराशि जमा करने के लिए लेखा शीर्ष में "डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज-बी" डिपोजिट्स नोट बियरिंग इन्ट्रेस्ट-843-मिविल डिपोजिट्स, डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्सेट्रा व एक्रोड डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर डिपोजिट्स फार फोस्ट आफ सप्लाइज एंड एक्विपमेंट आवर्टेड अन्डर दि बेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स क्रेडिट फार 1978-79 (डी एम 3 करोड़ 50 लाख)" है।

1(3) धन परेषण सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित किए गए चालान प्रपत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

4(4) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी, दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी दिल्ली-6 को डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सूचना जिस भारतीय बैंक ने गारन्टी जारी की है उसके द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को पश्चिम जर्मनी के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना टिप्पणियों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपेक्षण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

4(5) केवल प्राधिकृत व्यापारियो के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा करने और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई०टी०सी० (पीएन)/68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्हीं से लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति भी पृष्ठांकित कराना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित "एस" प्रपत्र

की भरना चाहिए।

4(6) एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने के बाद और देय सभी धनराशि आयातकों/बैंकरों द्वारा सरकारी लेखे में जमा कर देने पर प्राप्त किए गए आयात माल और जमा किए गए रुपए के ब्यौरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली-1, यूसी श्रो बैंक बिल्डिंग को अनुबन्ध-6 में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय उनका सत्यापन करके जहां आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी को रिहा करने के लिए व्यवस्था कर सके।

खंड-5 संविदा में परिवर्तन

संविदाओं की माल की सूची, शर्तों या भुगतान की अनुसूची माल के मूल्य आदि से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के एफ डब्ल्यू प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके परिणाम स्वरूप चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसको स्थगित करना पड़े।

आयातकों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2(5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकार/के एफ डब्ल्यू के अनुमोदन के लिए कार्रवाई हेतु ऐसे परिवर्तन की सूचना आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (एमईसी 1-अनुभाग), नार्थ ब्लाक को तुरन्त देनी चाहिए।

खंड-6 रिपोर्ट भेजना

आदेश ने, माल की सुपुर्दगी, विदेशी संभरकों को भुगतान आदि का प्रदर्शित करते हुए लाइसेंस के जारी होने की तिथि से प्रारम्भ करके अनुबन्ध 7 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट दो प्रतियों में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (एमईसी-1 अनुभाग), कमरा नं० 69, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसको भेजना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि संविदा के अधीन सभी पोतलदान और सभी भुगतान पूर्ण न कर लिए जाएं। दस लाख डीएम के तुल्य रुपए (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) से अधिक के आवंटन के मामले में ऊपर उल्लिखित त्रैमासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबन्ध-8 में निर्धारित प्रपत्र में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी यदि कोई विशेष घटना हो तो उस पर परियोजना की प्रगति पर और परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय समय अनुसूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आयात करने वाली भारतीय कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम तीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

खंड-7 विधि शर्तें

7(1) लाइसेंस धारी को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी शर्त से संभरक को अवगत कराना ही चाहिए जो लेन-देन का अनुपालन करने में संभरकों को प्रभावित करे,

7(2) विवाद :—यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयातक और विदेशी संभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

7(3) अनुदेशों का पालन :—आयात लाइसेंस से सम्बन्धित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के सम्बन्ध में के एफ डब्ल्यू प्राधिकारियों के साथ 3 करोड़ 50 लाख डीएम के पूंजीगत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों को करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेश अनुदेश और आदेश का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(4) अतिक्रमण या उल्लंघन :—

उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

की अनुसूची :—

अनुबन्ध-1—परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र

अनुबन्ध 2 —प्राधिकारपत्र को जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

अनुबन्ध-3 बैंक गारन्टी का प्रपत्र

अनुबन्ध-4—प्राधिकारपत्र का प्रपत्र

अनुबन्ध-5—प्राधिकारपत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र

अनुबन्ध-6—बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए रुपया निक्षेपों की रिपोर्ट व आवेदनपत्र का प्रपत्र

अनुबन्ध-7—त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

अनुबन्ध-8—(अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र। लाख रुपए से अधिक के मामले के लिए लागू है।

अनुबन्ध-1

परियोजना आंकड़ा प्रपत्र

क्रेडिटान्स्टाल्फर वाइड्रोपबो

6. फ्रेंक-फर्ट मेन, जर्मनी संघीय गणराज्य पालमन-गरिटेन्सट्रसी 5-9

जर्मन पूंजीगत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए

आवेदन पत्र

परियोजना आंकड़ा

(1) आवेदक (फर्म)

(क) पंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पता)

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र संस्थान

(ग) व्यापार लाइन/उद्योग की शाखा

(घ) कंपनी के भागीदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) अर्थयुक्त किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्त

(3) पूंजीगत माल के चुनाव का आधार—कृपया अपनाई गई प्रापण क्रियाविधि का संकेत करें। चूंकि पूंजीगत माल ऋण किसी भी विदेश से खरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इस संबंध में संकेत किया जाना चाहिए कि विभिन्न देशों में निविदा पूछताछ की गई/चालू की गई थी और वह आधार क्या है जिसके लिए विशेष संभरक का चुनाव किया गया है।

(4) संभरक (नाम और पता)

(5) संपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित आंकड़ों के विश्लेषण के साथ संपूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कीमत :—

—भूमि एवं भवन

—मशीनरी एवं उपकरण

—परिचालन निधि

—विविध

(7) संपूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्रोत (वित्तदान के साधनों से संबंधित मात्रिक विवरण। इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि रुपया-वित्तदान सुरक्षित है और इस आवेदनपत्र के अंतर्गत न आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती है।

(8) प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र

(9) संतुलनपत्र एवं लाभ तथा हानि लेखे के साथ गत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो तो नकदी-गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) क्षमता

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उपयोग,

(ख) उपयोगार्थीन के मामले में कृपया मुख्य कारण दें।

(11) बिक्री (गत दो वर्ष की)

(12) विनिमाण किए जाने वाले उत्पादों की मार्किट स्थिति (यदि संभव हो तो भूत एवं सम्भावी विकास के आकड़ों का प्रदर्शित करें।

(13) रोजगार

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी।

(14) कच्चे माल के संभरण स्रोत

(15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारिणी।

अनुबन्ध-2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

विषय: 1978–79 (डी एम 3 करोड़ 50 लाख) के लिए पश्चिम जर्मन पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत ………………… से ……………… का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत ………………… से ……………… का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरा आपको देते है ताकि आप ……………………… के माध्यम से वैयरिस्से वेरेस म्युनिख अथवा कार्मेज बैंक, ए जी फ्रैंकफर्ट अथवा ड्यूत्सचे बैंक ए जी हम्बर्ग अथवा ड्रेसडेनर बैंक ए जी ओफरस्टौफ, हम्बर्ग अथवा फ्रैंकफर्टर बैंक, फ्रैंकफर्ट,/ए एम मेन या स्टेट बैंक आफ इंडिया फ्रैंकफ' या बरिंस एंड वेस्ट बक, हम्बर्ग में साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र जारी कर सके।

(क) आयातक का नाम और पता।

(1) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र संस्थान का

(2) उद्योग की श्रेणी जिससे वह संबंध रखता है।

(3) वह राज्य जिसमें स्थित है।

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की फोटो प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् (लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा) किसी भी मामलों में केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकारपत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए, को दर्शाते हुए संभरक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए आदेशों का विदेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि पक्के आदेश (संभरक के पुष्टिकरण आदेश के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से चार मास के भीतर दे दिए गए है। यदि 4 मास की निर्धारित अवधि के बाद आदेश दिए गए हैं तो जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र/वित्त मंत्रालय के पत्र की एक प्रति जिस में आदेश देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है, संलग्न की जानी चाहिए।

(ङ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाण पत्र कि समुद्र पार संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद पक्के आदेश दिए गए हैं और यह कि न्यूनतम उपयुक्त तकनीकी दाम स्वीकार कर लिए गए हैं। यदि तुलनात्मक बोली प्राप्त करना संभव नहीं है जैसे एकाधिकार मद, तो इसके लिए पूरे औचित्य दिए जाने चाहिए।

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(छ) वास्तविक विदेशी मुद्रा में वह धनराशि [उस देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाना है जिसमें संभरक रहता हो (जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है) अभिकरण के कमीशन को छोड़कर]।

(ज) विदेशी मुद्रा में अभिकरण के कमीशन की धनराशि और भारतीय अभिकर्त्ता का नाम और पता।

(झ) ऐसे मामले में जहां संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित है, तो संभरक के उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसमें वेस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जाती है।

(ञ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की अनुमानित तिथि।

(ट) संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ने वाली सम्भावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

(ठ) 1 मिलियन डी एम के बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले में यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आयात लाइसेंस के मद्दे सभी संविदाएं पूरी कर दी गई हैं और आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा।

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुसूचित बैंक का नाम और पता) ……………………………
और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा ……………………
रु० के लिए दी गई बैंक गारंटी संख्या ……………………
दिनांक ……………………… और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिवत्-न्याय निर्णीत की गई है, संलग्न है।

भवदीय

(लाइसेंसधारी)

प्रति ……………………………… बैंक को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुबन्ध-3

गारंटी बान्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया) पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट 1978-79 की शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक… … को जारी किया गया लाइसेंस संख्या ………………… का पालन करते हुए ………………… के द्वारा बाद में इसे "आयातक" कहा गया है) के आयात के लिए भुगतान के लिए राजी होते हुए (विदेशी मुद्रा में उपर्युक्त धनराशि का संकेत करें) आयात के

अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत ..... (वैस्ट जर्मनी में वाणिज्यक बैंक का नाम ..... द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिस्थितियों पर जो हम संबंध में समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकलित किया जाता है और इसके साथ एक प्रतिशत की विदेशी संभरक को किए भुगतान की तारीख को सरकारी लेखों में क्रेडिट के लिए समतुल्य रु० के भुगतान की तारीख तक प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर से और इससे अधिक की अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं। वेस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयात को केवल तभी लौटाया जाएगा जब कि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपये जमा कर लिए गए हैं।

2. हम वि ..... बैंक सरकार जहां और जैसा भी, समय समय पर निदेश दे, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से हम पर प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो ..... रु० से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी तो उसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशी हमारे ..... बैंक द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर ..... अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत मिलि जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ निहित है वे उल्लिखित करार संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगी और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्ण रूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हो।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या वि .... बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और वि ..... बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और उपयुक्त मामले के सन्दर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानती से संबंधित हो .... बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. अन्त में हम ..... बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना, मुद्रा काल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत ..... रुपये (इसमें ब्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इस गारंटी की धन-राशि के/प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और यह ..... दिन ..... मास* ..... 197 ..... तक, जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अन्तर्गत मांगें पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाद दूसरे छः मास के भीतर अर्थात् ..... तक उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्रवाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और हम लोग इसके अन्तर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

..... दिन का दिनांक .....

वास्ते ..... (बैंक लि०) ..... श्री .....

के द्वारा (नाम और ओहदा) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर

यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र को वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी (लाइसेंस शर्तों की धारा 15 भी देखिए)।

टिप्पणी :—(1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलैक्टर के द्वारा ब्याज निर्णित किया जाना है।

(2) बैंक गारंटी का मूल्य देखें उपर्युक्त कंडिका 2 एवं संविदा के वास्तविक लागत तथा भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा मूल्य होगा और इस पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को मुद्रा विनिमय (सीमा-शुल्क) की प्रचलित दर पर परिकलित 1 प्रतिशत और शामिल किया जाएगा।

अनुबन्ध-4

प्राधिकार की पत्र संख्या .....

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 197

सेवा में,

(जर्मन बैंक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय :— 1978-79 के लिए डी० एम० 3 करोड़ 50 लाख पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य से आपके साथ क्रेडिट के अन्वर जमा लेखापत्र के माध्यम से समुद्रपार संभरकों को भुगतान करने की किया विधि।

—: 0 :—

उपर्युक्त क्रियाविधि के नियम एवं शर्तों के अनुसार पत्र सं०...... दि०.................जो मुख्य लेखाधिकारी, भारत का उच्चायोग, लंदन के द्वारा आप के बैंक को संबंधित किया गया था, से सहमत होते हुए हम एतद् द्वारा की गई संविदा के मद्दे..............के द्वारा खोले गए साख पत्र के अन्तर्गत.................के आयात को समाविष्ट करने के लिए आपको डी०एम० में ऐसी धनराशि को जो.....

(संभरक का नाम)

(तीसरे देश के संभरकों के मामले में लागू होगी) को भुगतान के लिए आवश्यक समझी जाए या ....को (पश्चमी जर्मन संभरक के मामले में लागू होगी)..............डी० एम० में धनराशि के भुगतान करने के लिए अवश्य समझी जाए जैसा भी मामला हो, खर्च करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद जहाजरानी एवं अन्य प्रकार के प्रलेख (प्रक्राम्य)...............को सीधे भेजे जाएं और प्रलेखों (अप्रक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजा जाए।

3. उपर्युक्त साख पत्र के अन्तर्गत आपके बैंक प्रभार.......... के द्वारा भारत द्वारा जमा धन से आपके साथ ही तय किया जाएगा।

4. यह प्राधिकार...........197 तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी।

अनुबन्ध—5

विषय :—1978-79 के लिए डी० एम०-3 करोड़, 50 लाख पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

....से पत्र संख्या.....................दिनांक...........के सन्दर्भ में, जिसमें उन्होंने 1978-79 के लिए डी० एम० 3 करोड़ 50 लाख पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आप के बैंक द्वारा साख पत्र खोलने की अनुमति मांगी है, मैं उन्हें विदेशी संभरक को ....तक भुगतान की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करते हुए आर्थिक कार्य विभाग की पत्र संख्या ....दिनांक............... ....संलग्न करता हूं इस (एक अतिरिक्त प्रति के साथ) प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ.......... को भेज दिया जाना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साख पत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है जो इसकी धनराशि............ .... से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग 7 की कंडिका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोतलदान की अंतिम तारीख निश्चित होने के बाद साख पत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिनों से पहले नहीं है जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है या प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है इनमें से चाहे जो भी पहले हो वही होनी चाहिए। साख पत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उसके पास वैध आयात लाइसेंस है।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि................ से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आप के द्वारा की गई संविदा के अनुसार आप लैण्ड बर्लिन सहित जर्मन संघीय गणराज्य में संभरक के लिए डी एम में भुगतान को या अन्य देशों के विदेशी संभरकों के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान की और इसके साथ एक प्रतिशत के हिसाब से आनुषंगिक और सौदे प्रभारों को प्रभावी बनाने के लिए ....(पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक का नाम)

जमा करने की व्यवस्था करें विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रुपए द्वारा ड्यूसखे मार्क में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य रुपए की गणना अगली सूचना के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना संख्या 15 आई टी सी (पीएन)/72, दिनांक 28-1-72 एवं सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8 आई टी सी (पीएन) /76 दिनांक 17-1-76 में यथा संकेतिक अवक्रा-बक्री की मिली-जुली दर से परिगणित की जाएगी। जब कभी विनिमय की आई एम एफ की समदर में परिवर्तन होता है तो यह दर संशोधनाधीन है। संभरक को भुगतान की तिथि से और जिस तिथि को समतुल्य रुपया जमा किया गया है (दोनों दिन मिलाकर) प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना है। आयातक को आयात प्रलेखों को दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी होगी।

4. यह धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली-6 में जमा की जानी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके नियंत्रता (आदेशक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी दिल्ली-6 (आदेशिता और पाने वाला) के नामें निकालने और भुगतान के लिए है उसके द्वारा जमा की जानी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 74 आई टी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 233 आई टी सी (पीएन)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 एवं संख्या 132 आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें इसे जमा किया जाना है उसका लेखा शीर्ष के डिपोजिट एण्ड एडवांसेज डी-डिपोजिट नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट अन्डर डायरेक्ट पेमेन्ट प्रोसीजर डिपोजिट फार कास्ट ऑफ एक्वाईज एण्ड इक्विपमेन्ट आबटेन्ड अण्डर-वेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स क्रेडिट 9 फार 1978-79 (डी०एम० 3 करोड़ 50 लाख) होगा।

5. मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त नोट का पूरा विवरण देते हुए एक अग्रेषित पत्र के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपया नकद में जमा करने के मामलों में चालान की एक मूल प्रति आप के द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए :—

महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

यू० सी० ओ० बिल्डिंग, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट,

नई दिल्ली।

डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया जमा करने के मामलों में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में बताया गया है, उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की जो धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए ब्याज परिगणित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा किए गए समतुल्य रुपए का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

6. खोले जाने वाले साखपत्र में इस संबंध में एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि विदेशी बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त कोई दावा और/या गारण्टी के निष्पादन से संबंधित बैंक गारण्टी से होने वाले कोई दसवें बीमा कम्पनी और/या डी एम में गारण्टी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सीधे ही के एफ डब्ल्यू (लेखा संख्या-504; 09100 ड्यूसखे बन्देसबके, फंकर्ट मेन) को प्रेषित किए जाने चाहिए ।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पत्र की संख्या····················की एक प्रति के साथ प्रति सूचनार्थ उसके ऊपर दिए गए पत्र के संदर्भ में सर्वश्री ······ ·················· को प्रेषित ।

अनुबन्ध-6

प्रपत्र

1. जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता ।
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य ।
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि ।
4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र के ब्यौरे :—
   (क) प्राधिकार पत्र की संख्या एवं दिनांक
   (ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
5. प्रभावी किए गए आयातों एवं जमा किए गए रुपयों के ब्यौरे :—
   (क) संभरक का नाम
   (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
   (ग) पश्चिम जर्मनी में नामित बैंक द्वारा संभरक को किए गए भुगतान की तारीख ।
   (घ) जमा किए गए रुपए की धनराशि :—
      (1) संभरक को चुकाई गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रुपए (विदेशी मुद्रा की एक एकक की दर से) ।
      (2) चुकाया गया ब्याज ।
      (3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है...... ....से..........तक ।
      (4) कुल किया गया जमा ।
      (5) जमा करने का दिनांक और स्थान ।
      (6) राजकोष चालान की संख्या, एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए ।
      (7) यदि उपर्युक्त (घ) (4) में लिखित रुपया डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए ।
6. प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे प्रयुक्त एवं उपर्युक्त शेष धनराशि (विदेशी मुद्रा में) ।
7. इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि उपर्युक्त कंडिका 6 में संकेतित शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई पोतलदान नहीं किया गया है तथा उसे समाप्त हुआ समझा जाए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुबन्ध-7

प्रपत्र

कम्पनी का नाम	निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र	उद्योग की श्रेणी	कम्पनी का पता	आवेदन की धनराशि (रुपए)
1	2	3	4	5

आयात लाइसेंस की संख्या, दि० एवं मूल्य (रुपए में)	संविदा का मूल्य (विदेशी मुद्रा में)	साख-पत्र का मूल्य	साख-पत्र के मद्दे चुकाई गई धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
6	7	8	9

टिप्पणी :— डी०एम० 10 लाख के समतुल्य रुपए से अधिक आबंटन से सम्बन्धित रिपोर्ट के अतिरिक्त (यदि मुद्रा की दर राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गई हो) लाइसेंसधारी के लिए परियोजना की प्रगति के लिए और परियोजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय के अनुपालन के लिए, विशेष अवसर पर, यदि कोई हो तो अनुबन्ध-8 के रूप में अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट को भेजना भी आवश्यक होगा और इसके साथ परियोजना के पूर्व होने तक कम से कम तीन-तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी भेजना आवश्यक होगा ।

अनुबन्ध-8

पश्चिम जर्मन पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्रगति के लिए अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजने का प्रपत्र—30 जून/ 31 दिसम्बर

1. कम्पनी का नाम तथा पता (प्रधान कार्यालय का पता तथा फैक्टरी का भी पता) ।
2. वह राज्य जिसमें यह स्थित है । (जिस राज्य में प्रधान कार्यालय स्थित है यदि उससे भिन्न राज्य में फैक्टरी स्थित है तो उसका साफ-साफ संकेत किया जाना चाहिए) ।
3. क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है या निजी क्षेत्र संस्थान है ?
4. उद्योग की वह शाखा जिससे यह सम्बन्धित है ।
5. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रेडिट के अन्तर्गत आबंटन का मूल्य ।
6. मदों के विनिर्माण के विवरण के साथ परियोजना का संक्षिप्त विवरण ।
7. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य ।
8. डी०एम० मे लाइसेंस के अधीन संविदा (ओं) का मूल्य ।

9 .....को डी०एम० में संभरकों को भुगतान की गई धनराशि ।

10 यदि आयात लाइसेंस में शेष धनराशि है तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा है तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे आगे संविदा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।

11. समय सारणी रखना, वास्तविक तिथियों के साथ सारणी की तुलना और समय सारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण है ।

12. यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारणों सहित परिशोधित समय सारिणी।

13. परियोजना की प्रगति :—

(1) माल का संभरण	(सुपुर्दगी की शर्तें)
(2) स्थापना	(किस्म तथा कोटि)
(3) प्रचालन	(अन्तिम स्वीकृति, किए गए प्रयोग संचालन के परिणाम)

14. परियोजना की समापन तिथि ।

15. परियोजना की आर्थिक उपलब्धि ।

16. फ्रेडिट और वित्तीय योजना का कार्यान्वयन योजना की वास्तविक मूल्य के साथ तुलना ।

17. परियोजना को चालू करने से सम्बन्धित कोई विशेष घटनाएं ।

18. परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियां) ।

टिप्पणी :— जो लागू न हो उसे काट दें ।

का० सं० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 19-ITC(PN)/79

New Delhi, the 23rd March, 1979

Subject :—Terms and conditions applicable to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 35 Million for 1978-79.

F. No. IPC/39/10/76.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the West German Capital Goods Credit of DM 35 Million for 1978-79 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO DEPTT. OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 19-ITC(PN)/79 DATED 23-3-1979

Conditions attached to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 35 Million for 1978-79.

Section I—General Conditions

I. (i) Where the value of allocation exceeds the rupee equivalent of DM 1 million (the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962), the prior concurrence of the West German authorities (Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form at Annexure-I. TILL SUCH CONCURRENCE FROM THE WEST GERMAN AUTHORITIES IS COMMUNICATED TO THE LICENSING AUTHORITIES CCI&E) BY THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, NO IMPORT LICENCE CAN BE ISSUED IN FAVOUR OF THE INDIAN IMPORTERS.

I. (ii) The licence shall bear the superscription "DM 35 million West German Capital Goods Credit for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

I. (iii) NO REMITTANCE OF FOREIGN EXCHANGE WILL BE PERMITTED AGAINST THE IMPORT LICENCE EXCEPT BANK CHARGES WHICH MAY BE REMITTED THROUGH NORMAL BANKING CHANNEL. Payments towards Indian agent's commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

I. (iv) THE GOODS AND RELATED SERVICES TO BE PROCURED UNDER THIS IMPORT LICENCE CAN BE IMPORTED FROM THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY INCLUDING THE LAND BERLIN OR ANY OTHER COUNTRY. The overseas supplier is therefore, free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

I. (v) The minimum value for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 (rupee equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue Customs) which rate of exchange should be indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports).

I. (vi) The import licence will be issued ON CIF BASIS with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2(xii) below, whichever is less subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

I. (vii) FIRM ORDERS (meaning thereby Purchase Order by the Indian Licensee on the foreign supplier supported by order confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier) must be finalised WITHIN A PERIOD OF 4 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE OF THE IMPORT LICENCE, (vide para I (ix) below). Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I. (viii) If firm orders, as explained in para I (vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorties who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (EAC-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension, will be authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

I. (ix) It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

I. (x) In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para 1 (viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section 2 : **Special points to be kept in view while concluding purchase contracts.**

2. (i) The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no privision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purpose of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

2. (ii) Supply orders should be placed either on CIF or on C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

2 (iii) It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers. In this connection it may be noted that the Indian importer is free to import from any country of his choice.

2. (iv) Minimum value of eligible contract—Provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000 (In the case of purchases made wholly from the Federal Republic of Germany) or equivalent of DM 30,000 (in the case of purchases made wholly or partly from countries other than the Federal Republic of Germany), it is permissible for the importer to enter into individual purchases contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2(xiii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

2. (v)(a) The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India and the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 35 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less (calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs), the approval of the contracts will not be specifically intimated to the importer. Once the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KfW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KfW also unless the KfW raises any objection subsequently in which event the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 1 million [calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)], the approval of the KfW will be first obtained by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract along with a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign suppliers are required to be sent by the Indian importer to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC-I Section) Room No. 69, North Block] within a fortnight from the date of conclusion of the purchase contract.

2. (vi) Where contract is placed on CIF basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims, would be made directly in DM to KfW (Ac/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (vii) Where contract are placed on C&F basis, the Marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However, the Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (EEC I Section) alongwith the contract documents :—

> "We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers or any replacement that may be necessitated by loss or damage to goods".

2. (viii) As the conracts are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2(ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2. (ix) Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit, as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for his purpose.

2. (x) As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers. Shipment can be made from the country in which suppliers are created or from a third country.

2. (xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin or, in the case of purchases from other countries, for contracts the DM equivalent of whose value exceeds DM 1 million, the importers should obtain performance guarantee for 10% value of the goods from the foreign supplier in regard to the performance of the goods supplied, and this fact should be incorporated in the contract itself (in the case of other contracts, namely, for contracts whose value is less than the limit indicated above, he Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign supplier). The form of the performance guarantee can however be settled by the Indian importer with the foreign supplier by mutual consent. It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditanstalt fur Wederaufbau (Acct. No. 504.09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (xii) ayments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31-12-1981. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 31-12-1981. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 31-10-1981. Such requests will be considered on merits.

2. (xiii) In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million, the purchase contracts are required to be submitted by the

Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

Section III—Payment to foreign suppliers—"Special" Letter of Credit procedure.

3. (i) Request for issue of letter of authority :

Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) or within a fortnight from the date of communication of the Government of India [vide para 2(v)(c) above] conveying the approval of KfW to the contracts placed against an import licence whose value exceed the rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), as the case may be, the licensee should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs EEC-I Section, North Block, New Delhi with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

(i) Three copies of the Purchase Order; and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers respectively or photo copies thereof. Attested copies or the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such Agents are not acceptable.

(ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.

(iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector imports).

(iv) In the case of C&F contract, three copis of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

(v) A certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign supplies; and

(iv) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2(xiii) above.

(b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million.

In addition to the contruct documents furnished earlier [in respect of which KfW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) vide 2(v)(c) above], following documents should be submitted :—

(i) A reuest (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.

(ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector imports) and

(iii) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian Insurance Company vide para 2(vii) above.

3. (ii) It is clarified that in the case of public sector imports, no bank guarantee is required.

3. (iii) Opening of Letter of Credit

Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority on any one of the following 7 commercial banks in West Germany designated for this purpose :—

(i) The Bayerische Vereinsbank, Munich.

(ii) The Commerzbank A. G. Frankfurt.

(iii) The Deutsche Bank A. G. Hamburg.

(iv) The Dresdner Bank A. G., Jungfernstie, Hamburg.

(iv) Berliner Handles Gasell-schaft Frankfurtor Bank.

(vi) State Bank of India, Frankfurt.

(vii) Vereins-Und-West Bank, Hamburg.

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the seven bunks mentioned in para 3(iii) above.

3. (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million, as the case may be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

3. (v) Bank Guarantee—amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is sought plus 1% of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure-V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act, 1962 and indicate in the import licence as per para 2 of Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6-6-74. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposited into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the D.M. amounts spent by the designated commercial banks in West Germany in arranging payments to the foreign supplier i.e. either in DM if the foreign supplier is situated in West Germany (including Land Berlin) or the DM amount for effecting payment in the currency of any other country in which the foreign supplier is located, in terms of the public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 and 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 as amended from time to time. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3. (vi) Issue of Letter of Authority

If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts & Audit) Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated Commercial Bank in West Germany (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the foreign suppliers on the basis of a "special" letter of credit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial bank in West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian Licensee. The original Letter of Authority alongwith a copy thereof will be sent to the concerned Indian bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to

submit the original Letter of Authority to the designated commercial bank in West Germany alongwith Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be as in Annexure-V). A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para has been received by such a Bank directly from the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

3.—(vii) THE "SPECIAL" LETTER OF CREDIT ON THE DESIGNATED COMMERCIAL BANK IN WEST GERMANY SHOULD BE OPENED WITHIN THIRTY DAYS FROM THE DATE OF THE ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY UNDER INTIMATION TO THE CONTROLLER OF AID ACCOUNTS & AUDIT, DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, MINISTRY OF FINANCE, UCO BANK BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI, OTHERWISE THE LETTER OF AUTHORITY ALREADY ISSUED WILL BE DEEMED TO BE NO LONGER VALID.

3.—(viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commercial bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. Even where the foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany (including Land Berlin) the negotiation and payment of documents would be done by the designated commercial Bank in West Germany. The designated commercial Bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than the Federal Republic of Germany, the designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement from the West German authorities of the amonts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3.—(ix) INCIDENTAL BANK CHARGES.—Incurred by the both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial bank in West Germany through the normal banking channel WITHOUT AFFECTING THE GOVERNMENT OF INDIA'S ACCOUNT.

Section IV—Responsibility for Rupees Deposits into Government Account.

4.—(i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial bank in West Germany both in the base of imports from West Germany including Land Berlin and other countries to the concerned bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents to the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier of the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the designated commercial bank in West Germany plus 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges, together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into Government Account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/75 dated the 16th June, 1976, the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made into the Government Account on or after 15th June, 1976.

(i) where deposits are made within 30 days after from the date of payment to the supplier.

9 per cent per annum.

(ii) where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier.

(a) for the first 30 days 9 per cent per annum.

(b) for period in excess of 30 days

15 per cent per annum.

The exchange rate to be adopted or computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India IT WILL BE THE RESPONSIBILITY OF THE INDIAN BANK CONCERNED TO ENSURE THAT THE AMOUNTS DUE ARE CORRECTLY DEPOSITED INTO GOVERNMENT ACCOUNT BEFORE THE ORIGINAL SHIPPING DOCUMENTS ARE HANDED OVER TO THE IMPORTERS. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers.

4.—(ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN/68, dated the 24th October, 1968 as amended vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—b—Deposits not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—Direct Payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit for 1978-79 (DM 35 million Credit)."

4.—(iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974.

4.—(iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which has issued the guarantee to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1 along with a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German bank.

4.—(v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4.—(vi) After the imports under a licence are completed and the importers/bankers have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-VI to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V—Alteration in the contract.

Any material alternation in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc, will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KfW authorities whether it results in earlier payments, or in postponement of payments.

Such alteration(s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi, (EEC-I Section), North Block for securing the approval of the Government of India/KfW in the same manner as explained in para 2 (v) above.

Section VI—Reporting

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC-I Section) Room No. 69, North Block,

New Delhi showing progress of ordering, delivery of goods, payments to foreign suppliers, etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 Million [at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs)] the licensee should in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure-VIII (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Reports (2 copies) of the Indian importing company for at least three years until completion of the project.

Section VII—Miscellaneous Provisions

7.—(i) The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

7.—(ii) DISPUTES

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importer and the foreign supplier.

7.—(iii) COMPLIANCE WITH INSTRUCTIONS

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the DM 35 million Capital Goods Agreement with the KfW authorities.

7.—(iv) BREACH OR VIOLATIONS

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7.—(v) LIST OF ANNEXURES

Annexure-I —Project data form.

Annexure-II —Form of Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-III —Form of Bank Guarantee.

Annexure-IV —Form of Letter of Authority.

Annexure-V - Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority.

Annexure-VI —Form of report of rupee deposits-cum-application for release of Bank Guarantee.

Annexure-VII —Form for submitting quarterly report.

Annexure-VIII —Form of Half-yearly Progress Report (Applicable to cases exceeding rupee). equivalent of DM 1 million).

ANNEXURE—I

Project Data form

Kreditanstalt Fur Wieoeraufbau

6, Frankfurt/Main Federal Republic of Germany

Palmengartenstrasse 5—9

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

PROJECT DATA

(1) Applicant (Firm)

(a) Registered Office (address incl. State)

(b) Public Sector or private sector undertaking.

(c) Business Line/Branch of Industry.

(d) Partners of Company.

(e) Foreign Collaboration Agreement.

(2) Type of cvapital goods to be financed.

(3) Choice of capital goods based on—please indicate the procurement procedure followed. Since the Capital Goods Loan is available for purchases from any country, an indication should be given whether tender enquiries were made/floated in various countries and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.

(4) Suppliers (name and address).

(5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required).

(6) Local and foreign exchange cost of the whole Project, with following break-down of figures.

—Land and building

—Machinery and equipment

—Operating Funds

—Miscellaneous

(7) Local and foreign financial sources for the whole, project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by this application are met).

(8) Letter of Intent for Industrial Licence received.

(9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.

(10) Capacity :

(a) Average utilization of existing capacity during the last two years.

(b) In case of under-utilization, please give main reasons.

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment.

(a) Present number of employees.

(b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the Project.

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building,

Parliament Street, New Delhi-1.

Subject :—Import of————from———under West German Capital Goods Credit for 1978-79 (DM 35 Million Credit).

Sir,

In connection with the import of———— from———— under the above mentioned West German Capital Goods Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening the letter of credit through———— ————on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A. G., Frankfurt or Deutsche Bank, A.G., Hamburg, or the Dresdner Bank, A.G. Jungferstied, Hamburg or the Frankfurter Bank, Frankfurt/AM Main or State Bank of India, Frankfurt or Vereins-Und West Bank, Hamburg.

(a) Name and Address of the Importer.

(i) Whether a public or private sector undertaking.

(ii) Category of industry to which it belongs.

(iii) The State in which it is located.

(b) Number, date and value of licence, (photostat copy of the licence should be attached).

(c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers, indicating payment terms viz., (c.i.f. or C&F) (In no case, Letter of Authority should be applied for f.o.b. value only).

(d) A certificate in duplicate that firm orders (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/ Ministry of Finance's letter authorising extension of time or placing firm orders as the case may be, should be attached.

(e) A certificate in triplicate that firm orders have been placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers and that the lowest technically suitable offer has been accepted. In case it is not possible to obtain comparable bids, e.g., proprietory item, full justification therefore should be furnished.

(f) Short description of the goods to be imported.

(g) Net foreign currency amount/payable to Suppliers (to be expressed in the currency of the country in which suppliers is located) for which Letter of Authority is required (excluding Agency commission).

(h) Amount of agency commission in foreign currency and Name and Address of Indian Agent.

(i) In case the supplied happens to be located in a country other than West Germany, the name of the supplier's bank to whom the amount is to be remitted by the designated Commercial Bank in West Germany should be indicated.

(j) Expected date of completion of delivery.

(k) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) In the case of import licence upto a value which is equivalent to DM 1 Million, a certificate that all the contracts against the import licence have been placed and that no further contract will be placed.

The Letter of Credit will be opened through

(Name and address of the Indian schedule bank, authorised to deal in foreign exchange).

and the Bank Guarantee No.————dated———— ————for Rs.————furnished by the above mentioned bank and which has been fully adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act 1899 is attached.

Yours faithfully,

(Licensee)

Copy forwarded to – ————Bank for information.

ANNEXURE III

GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of————by———— (hereinafter called the 'importer') against the licence No.———— ————dated————issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1978-79 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, we ————Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the———— (Name of the Commercial Bank in West Germany) by the importer converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time plus 1 per cent thereon within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with interest thereon at the rates of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the designated commercial Bank in West Germany will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the————Bank also undertake to Indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.————or any part thereof, for the time being due and payable by the importer ; together with interest there upon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us——— Bank shall be final and binding on us————Bank.

3. We————Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We————Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the——— Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from

time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and the————————Bank shall not be realised from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or things whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the————————Bank from its such liability.

6. We————————Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous—consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.————————(plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the————————day of* (month) ————————19 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 6 months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto————————, all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date———————— —day of————————

for————————Bank.

Accepted for and on behalf of the President of India.
by Shri (Name and designation)

Signature Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

Notes : (1) The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

(2) The value of the Bank Guarantee vide paras 2 and 7 above shall be arrived at after adding 1 per cent to the net C & F or CIF value of the contract converted into rupees at the Customs exchange rate prevailing on the date of issue of the Import Licence.

ANNEXURE IV

LETTER OF AUTHORITY NO.————————

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 197

To

(Name and Address of the German Bank).

Dear Sirs,

Subject :—Procedure for payments to overseas suppliers through the Letter of Credit Cover Deposit Account with you under DM 35 million Capital Goods Credit for 1978-79 (AL-) from the Federal Republic of Germany.

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, agreed upon through letter No————————dated the————————addressed to your Bank by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay (the amount in foreign currency concerned) to (name of the supplier) (applicable in the case of third country suppliers) or to pay an amount of DM———— to————————(applicable in the cases of West German supplier), as the case may be, under the letter of credit to be opened by————————for covering the import of———— ————————against contract entered into by————.

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to———————— and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to the undersigned for information.

3. Your banking charges under the above letter of credit will be settled directly with you by the————————by remittance from India.

4. This authority will remain valid upto————————197 .

Yours faithfully.

(Accounts Officer)

ANNEXURE V

Subject :—Import under West German DM 35 Million Capital Goods Credit for 1978-79 Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit Import Licence No.————————dated————————.

Dear Sirs,

With reference to letter No.————————dated the———————— from the————————in which they have requested permission for opening letter of credit through your Bank under the West German DM 35 million Capital Goods Credit for 1978-79, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No.———————— (with spare copy) dated the————————authorising them to arrange payment upto————————to the foreign supplier. The Letter of Authority should be sent by you to the———————— alongwith the letter of credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding————————within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days, after the final date for shipments stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid import licence.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the designated commercial Bank in West Germany) to effect payments in D.M. to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries plus 1 per cent towards incidental and Commitment charges in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the————————. The rupee equivalents of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 and Public Notice No. 108-ITC (PN)/72 dated 21-7-72 and 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 until further notice. This rate is subject to revision if and when the IMF parity rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the suppliers and the date on which the rupee equivalents are deposited (both days inclusive) is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts before the shipping documents are handed over to the importers.

4. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi of remitted by means of a demand draft obtained by you from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated the 24th October. 1968 as amended by Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and No. 132-ITC(PN)/71

dated the 5th October, 1971. The Head of account to be credited is : "K-Deposits and Advances-b-Deposits not bearing interest-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc. abroad/ under Direct Payment Procedure Deposits/for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit IX for 1978-79 (DM 35 Million Credit).

5. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominating German Bank.

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building,

Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

6. A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the foreign Insurance Company and/ or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to Kfw (Account No. 504 : 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

Yours faithfully,

Sd./ Accounts Officer.

Copy forwarded to : M/s.———————— with a copy of the Letter of Authority No.————for information, with reference to their letter quoted above.

Accounts Officer

ANNEXURE VI

PROFORMA

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence number and date and value.

3. Number, date and amount of the guarantee furnished.

4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Number and date of the Letter of Authority.

(b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency).

5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.

(a) Name of suppliers.

(b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.

(c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany.

(d) Amount of rupee deposits :—

(i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier@1 unit of foreign exchange— Rs.).

(ii) Interest paid.

(iii) Period for which the interest has been calculated from to

(iv) Total deposit made.

(v) Date and place of deposit.

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each Letter of Authority.

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatures)

ANNEXURE VII

PROFORMA

Name of company	Private Sector/ Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of allocation (Rs.)	No. date & Value of import licence (Rs.)	value of contract (foreign currency)	Value of L. C.	Amount paid against the L.C. (foreign currency)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note : In respect of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 Million, [If the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)], the licencee will be required to submit in addition half-yearly report as in Annexure—VIII on special event, if any on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

ANNEXURE VIII

PROFORMA FOR SUBMISSION OF HALF-YEARLY REPORTS ON PROGRESS OF PROJECTS FINANCED UNDER WEST GERMAN CAPITAL GOODS CREDIT-30th JUNE

31st DECEMBER

1. Name of Company and address (Address of Head Office and also address of factory).
2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head office is located, it should be clearly indicated).
3. Whether a public sector or private sector undertaking.
4. Branch of Industry to which it belongs.
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India.
6. Brief Description of the project including description of the Capital Goods items of manufacture.
7. No., date and value of the import licence.
8. Value of supply contract(s) under the licence in D. M.
9. Amount paid to the suppliers as on————in D.M.
10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting.
11. Keeping of time schedule comparison of schedule with actual dates, reasons for changing the time schedule.
12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor.
13. Progress of the Project
    (i) Supply of the goods (terms of delivery)
    (ii) Erection (kind and quality)
    (iii) Commissioning (final acceptance, trial runs results of operation).
14. Date of completion of the Project.
15. Economic Implication of the Project.
16. Realisation of the Cost and Finance Plan Comparison of plan with actual values.
17. Any special events connected with the implementation of the project.
18. Latest annual report of the Project sponsor (2 copies).

N.B. : Strike out the portions not applicable.

K. V. SESHADRI, Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979